तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्याः 04 / 2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
30-07-2025	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही उपस्थित। गैरसायल छगनलाल पुत्र दीपाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– रामेदव गली, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। गैरसायल ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान इस्तागासा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के वकील ने अनुरोध किया कि गैरसायल गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल छगनलाल पुत्र दीपाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– रामदेव गली, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर के विरुद्ध पुलिस थाना, रेवदर में राजस्थान सार्वजनिक ध्रुत (जुआं) अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 131 दिनांक 23–9–2023, 161 दिनांक 09–12–2023 व 34 दिनांक 08–3–2025 को दर्ज हुये है। उक्त सभी अपराधों में बाद अनुसंधान गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें अपराध संख्या 131 दिनांक 23–9–2023 व 161 दिनांक 09–12–2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। न्यायालय पत्रावली पर उक्त अपराध संख्या अपराध संख्या 131 दिनांक 23–9–2023 व 161 दिनांक 09–12–2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त अपराध संख्या 131 दिनांक 23–9–2023 व 161 दिनांक 09–12–2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 17–10–2023 व 14–12–2023 के अनुसार गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल, राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 08–3–2025 के बाद कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल छगनलाल पुत्र दीपाराम, जाति– मेघवाल, ...लगातार	(प्रवीण कुमार)

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्याः 04/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवासी– रामदेव गली, रेवदर, पुलिस थाना रेवदर को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 30 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, रेवदर से से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के उपखण्ड़ क्षेत्र सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निष्कासन अवधि में दिनाक 10–8–2025 व 20–8–2025 को पुलिस थाना अनादरा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, रेवदर/अनादरा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)